न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 96/2022

अनवान :

खिंवाराम पुत्र इन्द्राजसिंह जाति कुम्हार निवासी कलाना तहसील भादरा।

:— वादी

ब ना म

1. सावित्री पुत्री जैसा पत्नी इन्द्राजसिंह जाति कुम्हार निवासी कलाना तहसील भादरा।
2. प्रवीण पुत्र इन्द्राज जाति कुम्हार निवासी हाल जोगीवाला तहसील नाथूसरी चौपटा।
3. राजबाला पुत्री इन्द्राज जाति कुम्हार निवासी हाल जोगीवाला तहसील नाथूसरी चौपटा।
4. रोशनी पुत्री इन्द्राज जाति कुम्हार निवासी हाल जोगीवाला तहसील नाथूसरी चौपटा।
5. आरएमजीबी शाखा कलाना जरिये शाखा प्रबंधक कलाना त0 भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक बाबत।

अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री विनोद पूनियां : **वादी**

वकील श्री उम्मेद मोठसरा : **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 07.06.2022

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कलाना के खाता सं 609/607 के खसरा सं0 1023/495 की 2.758है0, खसरा सं0 963 की 3.669है0, खसरा सं0 991 की 2.011है0 कुल खसरा 3 की 8.438 है0 बारानी खातेदारी भूमि प्रतिवादिया सं 1 के नाम खातेदारी दर्ज है।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादिया सं0 1 के नाम महज परिवार की मुखिया होने के चलते दर्ज चली आ रही है जो प्रतिवादिया सं0 1 को विरासतन में मिली हुई है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

Scanned with CamScanner

साक्ष्य वादी में खिंवाराम पुत्र इन्द्राजसिंह जाति कुम्हार निवासी कलाना के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी ग्राम कलाना संवत 2074-77 प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम कलाना संवत 2050-53 प्रदर्श 2, नकल जमाबन्दी गांव जोगीवाला तहसील नाथूसरी चौपटा प्रदर्श 3 व वारिस शपथ-पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादिया सं 1 सावित्री के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम कलाना के राजस्व रिकार्ड में अपने माता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस शपथ पत्र प्रदर्श 1 से 4 प्रदशित करवाये। प्रदर्श 4 में वारिस शपथ पत्र में दो पुत्र खिंवाराम व प्रवीण तथा दो पुत्री राजबाला व रोशनी के अलावा अन्य कोई वारिस होना नहीं बताया गया है। वाद भूमि रोही मौजा कलाना के खाता सं 689/607 के खसरा सं0 1023/495 की 2.758है0, खसरा सं0 963 की 3.669है0, खसरा सं0 991 की 2.011है0 कुल खसरा 3 की 8.438 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादिया सं 1 सावित्री के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में से प्रतिवादिया सं0 1 सावित्री का नाम कलमजन कर वादी को खातेदार घोषित किये जावें। प्रतिवादी सं 1 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कलाना के खाता सं 689/607 के खसरा सं0 1023/495 की 2.758है0, खसरा सं0 963 की 3.669है0, खसरा सं0 991 की 2.011है0 कुल खसरा 3 की 8.438 है0 बारानी खातेदारी भूमि प्रतिवादिया सं0 1 सावित्री के नाम दर्ज हैं, उक्त वाद भूमि में प्रतिवादिया सं0 1 सावित्री का नाम कलमजन कर वादी खिंवाराम पुत्र इन्द्राजसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी स0 1 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़